

MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PWD SECRETARIAT: 3RD FLOOR,
MSO BUILDING, I.T.O., I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110002

F.11(108)/PWD-II/VS St.Q.28/Dec.23/*dispswd/669-70* Dated: *16/12/2023*
outline

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi- 110054.

Sub: - Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 28 raised by Ms. Vishesh Ravi, Hon'ble MLA during Winter Session 2023 due for 18.12.2023.

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q.B) Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F. 11(B-1) VII/2020-25/VSS/Question Branch/6290 dated 07/12/2023 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(Signature)
16/12/23
(ANIL BHOLA)
Dy. Secretary (PWD/VS)

F.11(108)/PWD-II/VS St.Q.28/Dec.23/*dispswd/669-70* Dated: *16/12/2023*
outline
ANIL BHOLA
SECRETARY (PWD)

Copy for information to: -

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD), 6th Level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi.

Dy. Secretary (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- तीसरा तल, एम0 एस0 ओ0, भवन,
आई0टी0ओ0 इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

तारांकित प्रश्न संख्या : 28
दिनांक : 18.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विशेष रवि
क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क.सं	प्रश्न	उत्तर
क)	स्थानीय विधायक द्वारा दी गई शिकायत पत्र संख्या नं0-116407 पर क्या कार्रवाई की गई;	सूचित किया जाता है कि डॉ. एन.सी. जोशी अस्पताल ओपीडी में सेंटलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट की स्थापना के लिए प्रारंभिक अनुमान (पी.ई.) पहले ही संबंधित कार्यकारी अभियंता एचएमईडी (केंद्रीय) पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन और व्यय मंजूरी के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को पत्र क्रमांक डीबी-3(वी)/ईई(ई)/एचएमईडी(सेंट्रल)/ पीडब्ल्यूडी /2023/1289 दिनांक 13.04.2023. के माध्यम से DGHS को प्रस्तुत किया जा चुका है। सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य के लिए DGHS से ए/ए एवं ई/एस प्राप्त होते ही कार्य तय समय सीमानुसार शुरू कर दिया जाएगा।
ख)	यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई कौन-कौन से अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है; और	उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है।
ग)	इस शिकायत पर कब तक कार्रवाई की जायेगी?	उपरोक्त 'क' के अनुसार लागू नहीं है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

Anil
15/12/23
(अनिल भोला)
उप सचिव, (लो0नि0वि0)

ANIL BHOLA
DY. SECRETARY (PWD)